

न्यायालय सहायक कलेक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- जीतू कुलहरी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 439/2022

दायर दिनांक 28.11.2022

वादी	प्रतिवादीगण
1. हुक्माराम पुत्र लादुराम जाति जाट निवासी थेबड़ी तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।	बनाम् 1. गुमानाराम पुत्र लादुराम जाति जाट निवासी थेबड़ी तहसील डीडवाना जिला नागौर 2. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा-53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थित:-

1. श्री हरफुल राव वकील वादी।
2. श्री विक्रम कुड़ी वकील प्रतिवादी सं0 1।

--: अंतिम निर्णय :-

दिनांक 23.08.2023

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि यह है कि मौजा ग्राम थेबड़ी पटवार हल्का थेबड़ी, भू-अभिलेख नि0 तोषीणा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 में अवस्थित खेत खसरा सं0 155 रकबा 3.2100 हैक्टे0 चाही 3, खसरा सं0 156 रकबा 0.1300 हैक्टे0 बारानी 1, खसरा सं0 160 रकबा 2.0000 हैक्टे0 बारानी 1, खसरा सं0 161 रकबा 0.0700 हैक्टे0 बारानी 1 कुल खसरा सं0 4 कुल रकबा 5.4100 हैक्टे0 भूमि में वादी व प्रतिवादी सं0 01 के मध्य बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन प्रस्तावित करने बाबत् दिनांक 07.04.2023 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार डीडवाना को निर्देश दिया गया।

तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्रांक: 396 दिनांक 11.08.2023 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार डीडवाना द्वारा प्रस्तावित बंटवारा पर बहस पक्षकारान् सुनी गयी जिसमें पक्षकारान बंटवारा प्रस्तावानुसार विभाजन करवाने हेतु सहमत हैं। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार डीडवाना सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार डीडवाना के द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 396 दिनांक 11.08.2023 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि :-


सहायक कलेक्टर
डीडवाना



—:: आदेश ::—

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, मौजा ग्राम थेबड़ी पटवार हल्का थेबड़ी, भू-अभिलेख नि० तोषीणा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज० में अवस्थित खेत खसरा 156 रकबा 0.1300 हैक्टे० भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 01 के मध्य घोषणा खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 396 दिनांक 11.08.2023 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन करने के आदेश दिए जाते है।

तहसीलदार डीडवाना का विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 396 दिनांक 11.08.2023 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(जीतू कुलहरी, R.A.S.)
सहायक कलेक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 23.08.2023 को सरे इजलास में सुनाया गया।

(जीतू कुलहरी, R.A.S.)
सहायक कलेक्टर
डीडवाना

डिक्री बमुकदमें इब्लादाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ला दीवानी)
अज अदालत:- सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : जीतू कुलहरी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 439/2022
वादी

दायर दिनांक 28.11.2022

1. हुक्माराम पुत्र लादुराम जाति
जाट निवासी थेबड़ी तहसील
डीडवाना जिला नागौर राज0।

बनाम्

1. गुमानाराम पुत्र लादुराम जाति जाट निवासी
थेबड़ी तहसील डीडवाना जिला नागौर
2. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत

घोषणा खातेदारी, बंटवारा, रेकॉर्ड दुरुस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा-53, 88, 188 R.T.Act.

दिनांक 23.08.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुददई श्री हरफुल राव वकील वादी व श्री विक्रम कुड़ी वकील प्रतिवादी सं0 1 की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, मौजा ग्राम थेबड़ी पटवार हल्का थेबड़ी, भू-अभिलेख नि0 तोषीणा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 में अवस्थित खेत खसरा 156 रकबा 0.1300 हैक्टे0 भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 01 के मध्य घोषणा खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 396 दिनांक 11.08.2023 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन करने के आदेश दिए जाते हैं।

तहसीलदार डीडवाना का विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 396 दिनांक 11.08.2023 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 23.08.2023 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	-	-	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोट:-इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना